महत्वपूर्ण / पी0एफ0एम0एस0

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रॉक 51102 / बा0वि0परि0 / पी0एफ0एम0एस0 / 2016   दिनॉकः 6 अक्टूबर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों / मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में ।

यह देखा गया है कि अभी भी पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में अंकित अभिलेख टुकड़ों–टुकड़ों में संशोधन के लिये प्राप्त हो रहे है एवं निर्धारित प्रारुप पर भी नहीं हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक प्रत्येक दशा में पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में अंकित समस्त अभिलेखों का मिलान कर संशोधन हेतु निर्धारित प्रारुप पर संकलित सूचना MS excel font size-12 पर तैयार करके हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी e-mail id adficds@gmail.com पर अनिवार्य रुप से भेजना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के बाद यदि कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उसके लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी जिम्मेदार होगें एवं उनके चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या ____________ / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

महत्वपूर्ण / पी0एफ0एम0एस0

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक :ए-1106/बा0वि0परि0/पी0एफ0एम0एस0/2016 दिनांक: 07 अक्टूबर, 2016

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय : पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के त्रुटिपूर्ण अभिलेखों में संशोधन के सम्बन्ध में ।

पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में अभिलेखों को शत–प्रतिशत त्रुटिरहित करने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या:ए-1102 दिनांक 6.10.2016 द्वारा आपको निर्देशित किया गया है कि दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 तक समस्त अभिलेखों का शत–प्रतिशत मिलान कर संशोधित करा लें।

पुनः निदेशालय स्तर पर दिनांक 17–20 अक्टूबर, 2016 के मध्य निम्न कार्यक्रम के अनुसार अंकित मण्डल में स्थित समस्त जनपद, मुख्यालय पर उपस्थित होकर शत–प्रतिशत अभिलेखों का मिलान करलें। इस कार्य हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी स्वयं अपने डिजीटल सिग्नेचर डौंगल लेकर एवं एक भिज्ञ कर्मचारी/आपरेटर के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगें। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि दिनांक 20.10.2016 के उपरान्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं के अभिलेखों में कोई भी अन्तर न रह जाये। यदि किसी जनपद में शत–प्रतिशत मिलान हो चुका है तो अंकित तिथि से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र अपर निदेशक(वित्त) को भेज दें एवं उनको उक्त तिथि को निदेशालय में आने की आवश्यकता नहीं होगी।

क्रम संख्या	दिनांक	मण्डल का नाम
1.	17 अक्टूबर, 2016	आजमगढ़, चित्रकूट, झांसी, बस्ती, गोरखपुर एवं देवीपाटन मण्डल
2.	18 अक्टूबर, 2016	बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, आगरा एवं इलाहाबाद मण्डल।
3.	20 अक्टूबर, 2016	कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर एवं अलीगढ़ मण्डल ।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या /तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द कुमार सिंह)
निदेशक।

official letter 2016